अपील(सू.का.अ)संख्या 138/2025 बउनवानी गोविन्द माधव अग्रवाल बनाम कोषाधिकारी सवाई माधोपुर निवासी मगंलम इनवेस्टमेंट चहल पहल मार्केट गोवर्धन रोड कृष्णा नगर मथुरा

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/292

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
15.10.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 23.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **अधीक्षक डाकघर सवाईमाधोपुर के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 2.7.2025 की प्रमाणित प्रति** " कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः अ.बचत/कोष/2005/911 दिनांक 6.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.2025 मे चाही गयी सूचना कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 963 दिनांक 3.10.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 963 दिनांक 3.10.205 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्र्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner